मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई में मौके पर परिवेदनाओं का समाधान किया

उन्होंने निर्देश दिए कि परिवेदनाओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्यवाही हो

जयपुर, 18 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई में प्रदेशभर से आई महिलाओं, विशेष योग्यजन, वरिष्ठ नागरिक एवं विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने अनेक प्रकरणों में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर मौके पर ही परिवेदनाओं का समाधान कर परिवादियों को राहत दी।

- **मुख्यमंत्री आवास पर हुई जन सुनवाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा व पेयजल आदि विभागों के संबंध में आमजन की समस्याएं सामने आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवादियों की बात ध्यान से सुनी तथा निस्तारण के उसी समय निर्देश दिए।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। इस अवसर पर प्रदेशभर से आई महिलाओं, विशेष योग्यजन, वरिष्ठ नागरिक एवं विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याओं को सुना।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई आमजन और शासन के बीच विश्वास एवं संवाद का प्रभावशाली माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आए सभी प्रकरणों के निस्तारण की समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाए। अधिकारी ऐसी पारदर्शी एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे परिवादी को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवेदनाओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई हो। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनकर परिवादियों से व्यक्तिगत संवाद भी किया। उन्होंने जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आई महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित विभिन्न लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। आमजन अपनी परिवेदनाओं के हाथोंहाथ समाधान से बेहद संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में नागौर से आए विशेष योग्यजन ताराचंद माली ने स्कूटी व इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल नहीं मिल पाने की अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन्हें शीघ्र स्कूटी व इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल देने के निर्देश दिए। इसी तरह, करौली के विशाल कुमार मीणा ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने में समस्या आ रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन्हें शीघ्र ही उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति दिलवाने के निर्देश दिए तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अपनी समस्याओं के इतने त्वरित समाधान से ताराचंद एवं विशाल बहुत खुश हुए और मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनप्रतिनिधिगण द्वारा लाए गए पोस्टरों का विमोचन भी किया। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में संबंधित जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे।

न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली, 18 मई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने सोमवार को संसद भवन में लोक सभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

लोकसभा सचिवालय के अनुसार, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट को यथासमय संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा। इस समिति का गठन 12 अगस्त को लोक सभा अध्यक्ष ने किया था।

- **लोकसभा सचिवालय के अनुसार रिपोर्ट को दोनों सदनों के पटल पर रखा जायेगा**

उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इसके बाद उनका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया गया था। संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरु हुई थी।

जयराम रमेश ने राज्यसभा में शिक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया

नोटिस में आरोप है कि शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कांफ्रेंस में संसदीय स्थाई समिति की बहुदलीय प्रकृति पर टिप्पणी की।

नई दिल्ली, 18 मई। कांग्रेस सांसद और महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल किया है। यह नोटिस राज्यसभा की कार्यवाही एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 187 के तहत राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को सौंपा गया है।

- **कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि संसदीय समिति को मिनी संसद भी कहा जाता है। किसी समिति के प्रति अपमानजनक या अवमाननापूर्ण टिप्पणी को सदन की अवमानना, माना जाना चाहिए।**

कांग्रेस नेता ने अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि 15 मई को आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री ने एनईईटी-यूजी पेपर लीक मामले पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लेकर टिप्पणी करने से इनकार किया और समिति की बहुदलीय प्रकृति पर सवाल उठाए। जयराम रमेश के अनुसार, मंत्री की यह टिप्पणी संसद और उसकी समितियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है।

नोटिस में कहा गया है कि संसदीय समितियों को संसद का विस्तार माना जाता है और इन्हें मिनी संसद भी कहा जाता है। ऐसे में किसी समिति के प्रति अपमानजनक या अवमाननापूर्ण टिप्पणी को सदन की अवमानना माना जा सकता है। रमेश ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने जानबूझकर समिति की प्रतिष्ठा को कमतर दिखाने का प्रयास किया। कांग्रेस सांसद ने इसे संसदीय विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन बताते हुए सभापति से आग्रह किया है कि इस मामले में धर्मेन्द्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू की जाए।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में एनईईटी यूजी पेपर लीक मामला को लेकर विपक्ष लगातार केन्द्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर हमलावर रहा है।

केरल में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी

सतीशन सरकार ने पहले दिन से ही चुनावी वादों को लागू करना शुरू किया

तिरुवनंतपुरम, 18 मई। केरल में मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के नेतृत्व वाली नई सरकार ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी फैसलों पर मुहर लगाई। सरकार ने महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित, विभिन्न वर्गों के लिए कई राहतकारी योजनाओं का ऐलान कर अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। इन फैसलों को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के चुनावी वादों को तेजी से लागू करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

- **सतीशन मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से विशेष विभाग बनाने को भी मंजूरी दी इसके लिए राज्य सरकार बुजुर्गों के कल्याण के अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों को अध्ययन कर लागू करेगी।**

केरल में सोमवार को एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हुई। दस साल के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन राज्य की सत्ता में लौटा। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, वीडी सतीशन की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सतीशन पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि कैबिनेट ने इंदिरा गारंटी कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार इसे 15 जून से लागू करेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग विशेष विभाग स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह पहल देश में अपनी तरह की पहली होगी। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि राज्य सरकार बुजुर्गों के कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय मॉडलों का अध्ययन करेगी, विशेष रूप से जापान की वृद्धजन देखभाल व्यवस्था को ध्यान में रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के मानदेय और कल्याणकारी भुगतानों में वृद्धि और आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त तीन हजार रुपये देने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा मिड-डे मील से जुड़े खाना बनाने वाले कर्मचारियों, आयाओं और प्री-प्राइमरी शिक्षकों के मानदेय में भी एक-एक हजार रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई।

पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान स्क्वॉड्रन व 8 हजार सैनिक सऊदी में तैनात किये

नई दिल्ली, 18 मई। पाकिस्तान ने एक आपसी रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में 8,000 सैनिक, लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन और डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है।

पाकिस्तान रियाद के साथ अपने सैन्य सहयोग को और बढ़ा रहा है, जबकि दूसरी ओर वह ईरान युद्ध में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहा है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तैनाती की पूरी जानकारी, जो कि पहली बार सामने आई है, इनकी पुष्टि

- **ईरान युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के इस कदम को आश्चर्य से देखा जा रहा है**

तीन सुरक्षा अधिकारियों और दो सरकारी सूत्रों ने की है।

इन सभी ने इसे एक महत्वपूर्ण और युद्ध-सक्षम बल बताया है, जिसका उद्देश्य सऊदी अरब की सेना को तब सहायता देना है, जब उस पर कोई और हमला होता है। पाकिस्तान की सेना, विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब के सरकारी मीडिया कार्यालय ने इस तैनाती पर कोई जवाब नहीं दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने करीब 16 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन तैनात किया है, जिनमें से ज्यादातर -17 लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें चीन के साथ मिलकर बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने 80 फीट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसका वर्ष 2013 में भू-रूपांतरण भी हो चुका है। इसी प्रकार मोतीलाल गोयल, संपत लाल गोयल व सुआलाल गोयल द्वारा भी हाईवे किनारे अपनी भूमि पर हार्डवेयर और कृषि उपकरणों का व्यवसाय करके परिवार का पालन-पोषण किया जा रहा है। इसी प्रकार एक अन्य महिला दुर्गा देवी द्वारा भी अपनी भूमि खसरा नंबर 186 के कुछ हिस्से का भू-रूपांतरण करवाया गया है, कुछ जमीन पर इनका मकान बना हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अदालती आदेशों की पालना में 30 अप्रैल 2026 को 80 फीट सड़क के दोनों तरफ 25-25 फीट भूमि पर बसे लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 15 दिन का समय देते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि इस मामले में कानूनी रूप से जमीन पर काबिज पक्षकारों की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में जिला प्रशासन द्वारा 30 अप्रैल 2026 को दिया गया नोटिस अवैध है, क्योंकि हमारा पक्ष सुने बिना ही यह कार्रवाई की जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि, जिला प्रशासन ने उन्हें बिना सुने ही अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया है, जबकि वे वैध रूप से जमीन पर काबिज हैं। उन्होंने कहा कि उनका पक्ष सुने बिना की गई कार्रवाई संविधान में दी गई सुरक्षा के विपरीत है।

पंचायत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आदेश की अवमानना है। दूसरी ओर 15 अप्रैल के बाद राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, स्कूल स्टाफ, गर्मी और बारिश के मौसम के साथ ही अन्य कारण बताते हुए दिसंबर तक चुनाव कराने की छूट मांगी है, जिस पर खंडपीठ ने सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।

'बेल नियम है, जेल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थिति उभरती है, वह स्पष्ट है। वाटली (एक अन्य मामला) फैसले का हवाला यूएपीए के तहत आरोपी की अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी को न्यायसंगत ठहराने के लिए नहीं दिया जा सकता।"

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि के. ए. नजीब मामले में पहले से तय हो चुका है कि यूएपीए आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया केस होने का हवाला देकर ट्रायल में शामिल आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।

अंद्राबी को जमानत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामलों में दोष सिद्धि की बहुत कम दर का भी उल्लेख किया।

विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में, वार्षिक सजा दर हमेशा 1 प्रतिशत से कम रही है, जिसका मतलब है कि ट्रायल के अंत में यूएपीए आरोपी के बरी होने की संभावना 99 प्रतिशत है।

कोर्ट ने कहा, हमने "नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो" के आंकड़े उद्धृत किए हैं।

वर्ष 2019 से 2023 तक के पांच साल की अवधि में, पूरे भारत में न्यूनतम सजा दर 1.5 प्रतिशत और अधिकतम 4 प्रतिशत है, जबकि जम्मू और कश्मीर में 2019 में सजा दर शून्य थी और 2022 में अधिकतम 0.89 प्रतिशत थी। इसका अर्थ है कि पूरे भारत में 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत केसों में सजा होती है, जिसका मतलब है कि ऐसे मामलों में 94 प्रतिशत से 98 प्रतिशत संभावना आरोपी के बरी होने की है।

कोर्ट ने अंद्राबी को जमानत देने का आदेश देते हुए विभिन्न शर्तें लगाईं, जैसे पुलिस के सामने नियमित रूप से उपस्थित होना, जांच में सहयोग करना और पासपोर्ट सौंपना।

वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फ़रासत ने अंद्राबी की ओर से दलीलें पेश कीं।

आखिर क्यों आबादी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मामले में, यह जनसांख्यिक तर्क कुछ हद तक सही लगता है। कुल प्रजनन दर एक महिला से अपेक्षित है, जो औसत बच्चों की संख्या है, जो वर्तमान में 1.7 है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है। प्रतिस्थापन स्तर वह संख्या है जो सुनिश्चित करती है कि कुल जनसंख्या स्थिर रहे।(एन एफ एच एस 2019-21 के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है, जबकि दक्षिणी राज्यों में यह कम है: केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में 1.8 और आंध्र और कर्नाटक में 1.7। दक्षिणी राज्यों की चिंता इस बात से उत्पन्न होती है कि जनसंख्या परिसीमन कवायद इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम कर सकता है। हालांकि संसद में पुनर्विन्यास बिल अस्वीकृत हो गया है, दक्षिणी राज्यों को डर है कि जब भी यह अभ्यास किया जाएगा, यह उनके लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

ताबड़तोड़ फैसले कर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि पुलिसकर्मियों पर कोई भी हमला राज्य पर हमला माना जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व तृणमूल सरकार के रवैये के बिल्कुल विपरीत पुलिस ने इस बार सख्ती दिखाई और कम से कम 26 हंगामेदारों को गिरफ्तार किया, जो पहले की सरकार के समय सोचना भी नामुमकिन था।

प्रदर्शनकारियों और प्रशासन दोनों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन का यह घटनाक्रम एक तरह से जमीन टटोलने की कोशिश थी। प्रदर्शनकारी पुलिस को अपनी पुरानी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि पिछली सरकार में होता था।

दूसरी ओर, नई सरकार राज्य और प्रशासन पर अपने अधिकार को स्पष्ट करना चाहती थी। कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन के पास तृणमूल शासन में कोई राजनीतिक समर्थन नहीं था और वे अपने बलों पर होने वाले हमलों का जवाब नहीं दे पाते थे। नई सरकार ने पुलिस बल को सार्वजनिक रूप से पूर्ण समर्थन देकर एक नयी शासन व्यवस्था पेश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल की घटना इस तरह की आखिरी होगी और किसी भी दोहराव को और भी दृढ़ता से संभाला जाएगा।

पश्चिम बंगाल पुलिस बल इस बात से प्रसन्न है कि उसने स्थिति का सामना अपने पेशेवर तरीके से किया, बजाय इसके कि उसके हाथ बंधे रहें। उदाहरण के रूप में, पुलिस बल ने पार्क सर्कस की स्थिति को जल्दी ही नियंत्रण में ला दिया। अपनी अलग पहचान स्थापित करने के प्रयास में, जो तृणमूल की छवि से पूरी तरह भिन्न है, नई भाजपा सरकार ने पूर्व शासन की घटनाओं और गड़बड़ियों की जांच के लिए कई आयोगों का गठन किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे पूर्व शासन की विभिन्न चूकों और गड़बड़ियों की जांच के लिए दो उच्च शक्ति संपन्न आयोग गठित करेंगे। भाजपा सरकार ने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है, जो सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों, सार्वजनिक परियोजनाओं में भ्रष्टाचार, वसूली रैकेट और जीवन के हर क्षेत्र में कुख्यात कट मनी संस्कृति की जांच करेगा।

सरकार ने महिलाओं पर पिछले पंद्रह वर्षों में तृणमूल शासन के दौरान हुए उत्पीड़न, हमलों और धमकियों की जांच के लिए एक वरिष्ठ महिला प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता में एक आयोग भी गठित किया है।

नीट लीक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

24 घंटों में पांच जगहों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

एजेंसी ने बताया कि मामला 12 मई को दर्ज किया गया था, जब शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रश्नपत्र लीक की शिकायत दी थी। अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहमदनगर से कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नौ आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जबकि दसवें आरोपी को अदालत में पेश किया जा रहा है।

एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने भर्ती परीक्षा नहीं दी थी। इसमें पूर्व में दोनों परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया कि जब पूरी भर्ती परीक्षा ही रद्द हो चुकी है तो अब आगामी परीक्षा में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी शामिल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा है कि जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भाग लिया था, उन्हें ही वापस होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल करें। पूर्व में जब ईओ-आरओ भर्ती की परीक्षा रद्द हुई थी, तब उसमें सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था। इसलिए सितंबर 2021 में होने वाली एसआई 2021 की पुन: परीक्षा में उन्हें भी शामिल किया जाए।

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि एसआई भर्ती-2021 की परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के चलते हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के दखल पर राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर पुन: परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है।

सतीशन ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और भाजपा के राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर शामिल थे। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, नई बनी सरकार ने सोमवार को अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक भी बुलाई।

क्या केरल में सतीशन का मु.मंत्री बनना प्रियंका के बढ़ते दबदबे का संकेत है?

केरल के मुख्यमंत्री के चयन में ना राहुल की चली, जिनकी पसंद वेणुगोपाल थे, ना सोनिया की चली, जिनकी राय रमेश चेन्निकला के पक्ष में थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मई। राहुल गांधी का झुकाव वेणुगोपाल की ओर था। प्रियंका गांधी ने सतीशन का समर्थन किया, जबकि सोनिया गांधी चेनिथला के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण थीं। इस त्रिकोणीय राजनीतिक खेल में, प्रियंका की समझ ही भारी पड़ी।

केरल का यह निर्णय गांधी परिवार के आंतरिक संतुलन को भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह महत्वपूर्ण केवल इसलिए नहीं है कि उन्होंने विजेता का समर्थन किया, बल्कि इसलिए भी कि केरल अब सीधे उनके राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्रियंका वायनाड से लोकसभा सांसद हैं, वे 2024 के उपचुनाव में केरल से चुनी गई थीं, जब राहुल गांधी ने इस सीट को खाली किया। इसलिए पहले कभी भी किसी राज्य में अपने परिवार के परंपरागत मजबूत क्षेत्रों के बाहर जितनी "सीधी हिस्सेदारी" प्रियंका की थी, केरल में उससे कहीं अधिक है।

क्या सतीशन का मुख्यमंत्री बनना यह दर्शाता है कि प्रियंका गांधी अब कांग्रेस में राहुल गांधी से अधिक प्रभावशाली हो गई हैं? वायनाड में उनकी जीत ने उन्हें संसदीय वैधता दी। केरल के फैसले में उनकी भूमिका ने उन्हें एक स्पष्ट आंतरिक सफलता दी, और यदि कांग्रेस नेता उन्हें राज्य के रुझानों को समझने में राहुल से अधिक संवेदनशील मानने लगते हैं, तो उनकी बड़ी भूमिका की मांग और भी बढ़ेगी।

के.सी. वेणुगोपाल कम से कम इस समय तो असमंजस की स्थिति में हैं। मुख्य सवाल यह है कि क्या वे संगठन प्रभारी के रूप में एआईसीसी महासचिव बने रहेंगे, या केरल प्रकरण को राजनीतिक रूप से उनकी गिरावट के रूप में देखा जाएगा। वेणुगोपाल ने सार्वजनिक रूप से हाईकमान के निर्णय को स्वीकार किया और "निर्णय का पूरे मन से स्वागत करते हुए" सतीशन को बधाई दी। लेकिन राजनीतिक रूप से, यह उनके लिए गंभीर झटका है। उन्होंने केवल राज्य स्तर की दौड़ ही नहीं हारी, वे हार गए, भले ही वे राहुल गांधी की पसंद थे, भले ही उनके पास संगठनात्मक पद था, और भले ही कांग्रेस विधायकों का बहुमत उनके पक्ष में था।

कांग्रेस के हलकों में यह सवाल भी उठ रहा है: क्या वेणुगोपाल अब मल्लिकार्जुन खड़गे के स्थान पर कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहेंगे?

वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता के लिहाज से, केरल प्रकरण के बाद, ऐसा हो पाना अधिक कठिन दिखाई देता है। खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं तथा शीर्ष पर कोई औपचारिक रिक्ति नहीं है। वेणुगोपाल दिल्ली में अब भी प्रासंगिक रह सकते हैं, खासकर अगर राहुल उनका समर्थन करते रहें। लेकिन एक नेता, जो अपने राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, उसका पार्टी अध्यक्ष के दावेदार के रूप में उभरना जमता नहीं है। इस बीच, अगर वेणुगोपाल जीएसओ पद पर बने रहते हैं, तो उन नेताओं के सपने समाप्त हो जाएंगे, जो उस पद की ओर देख रहे थे, जैसे अजय माकन, अशोक गहलोत और मुकुल वासनिक। अगर वेणुगोपाल तिरुवनंतपुरम चले जाते, तो यह संगठनात्मक पद खाली हो जाता। सतीशन की जीत ने उत्तराधिकार के इस सवाल को असमंजस की स्थिति में पहुँचा दिया है और वेणुगोपाल उनके वर्तमान पद संरचना में कमज़ोर हो गए हैं। केरल के परिणाम से शायद मल्लिकार्जुन खड़गे उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न हैं, जितना वे खुले तौर पर दिखा रहे हैं।

- **प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं, इसलिए अन्य राज्यों की तुलना में केरल की राजनीति में प्रियंका गांधी का सीधा दखल है।**
- **सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस में उन्हें ज्यादा जवाबदेह नेता माना जा रहा है।**

औपचारिक रूप से, यह निर्णय खड़गे और राहुल गांधी की परामर्श प्रक्रिया के बाद आया, जब पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन पार्टी के कुछ हिस्सों में, वेणुगोपाल को ऐसा व्यक्ति माना जाता रहा है, जिसकी राहुल के निकटता ने उन्हें औपचारिक पदनाम से अधिक प्रभावशाली बनाया, कभी-कभी आलोचक कहते हैं कि उनके कारण खड़गे के अधिकार में भी कटौती हो गई थी। चाहे यह आरोप पूरी तरह तटस्थ न हो, सतीशन की पदोन्नति को कई लोगों द्वारा एक शांत संतुलन बहाली के रूप में देखा जाएगा।

खड़गे केरल में हारे नहीं हैं। राहुल हारे। प्रियंका जीतीं। वेणुगोपाल पर रोक लगी। और सतीशन मुख्यमंत्री बने।

केरल की कहानी में कांग्रेस की आंतरिक कहानी निहित है।

सतीशन की पदोन्नति अब राजनीतिक रूपरेखा के रूप में केरल से आगे जायेगी।

सतीशन मॉडल कहता है कि एक नेता उच्च कमान की पसंद का सामना कर सकता है, अगर उसके पास पर्याप्त सार्वजनिक वैधता, गठबंधन विश्वास और जमीनी स्तर की विश्वसनीयता हो। यह कहता है कि क्षेत्रीय नेता और गठबंधन साझेदार, लगातार दबाव के माध्यम से, दिल्ली में बनाए गए निर्णयों को बदल सकते हैं। यह कहता है कि भविष्य में कांग्रेस पर कमान्ड और कंट्रोल के मामले में राहुल गांधी कमज़ोर हो सकते हैं।

यह पार्टी को अधिक लोकतांत्रिक बना सकता है। यह इसे अधिक अनुशासनहीन भी बना सकता है। राजनीति में, तैयार किये गये आंकड़े प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन जनता की स्वीकार्यता अंतत: इतिहास बनाती है।

जनता के पास जाएँ। जनादेश उस नेता का अनुसरण करता है, जो जनता के साथ होता है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908